पालि अभिलेखों में इतिहास–निरूपण : एक अनुशीलन

डा0 जमील अहमद

प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

पालि भाषा मे ंउत्कीर्णित अभिलेखों का प्राचीन भारतीय इतिहास ज्ञान में उल्लेखनीय स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये अभिलख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पालि शब्द की व्युत्पत्ति 'पा' रक्षणे धातु से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है ऐसी भाषा, जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गयी है–('पा' रक्खतीति बुद्धवचनं इति पालि)।' कुछ विद्वान् 'पालि' शब्द का सम्बन्ध पंक्ति, परियाय, पल्लि तथा पाटलिपुत्र आदि से भी मानते हैं। यह मूल रूप से भारत के किस भू–भाग की भाषा रही है, इस बात पर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान् यह मानते हैं कि इसमें व्याकरणगत प्रयोग मध्यदेश की भाषा का रहा है तथा इसमें मगध–प्रदेश की भाषा के भी अनेक शब्द मिलते हैं।

पालि भाषा के अभिलेखों में इतिहास तत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएँ दी गई हैं। ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए ये अभिलेख बहुत उपयोगी हैं। पालि–प्राकृत भाषा मे ंउत्कीर्ण प्रथम अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की पूर्वी सीमा पर अवस्थित पिपरहवा स्थल से प्राप्त किया गया है। पुरालिपि शास्त्रज्ञ व्यूलर ने इसे मौर्यकालीन तथा चतुर्थ–तृतीय शती ई0 पू0 परन्तु सिल्वालेवी ने ई0 पू0 पांचवीं शती बुद्ध के परिनिर्वाण 483 ई0 पू0 का मानते हैं। इसमें उल्लिखित 'सुकिति मतिन' की विद्वानों ने अनेक अर्थों में व्याख्या प्रस्तुत की ह। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेखा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। इसे मौर्यकालीन इतिहास ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। इसमें अकाल के समय श्रावस्ती के महामात्र के आदेश के अनुसार त्रिवेणी, मथुरा, चंचु, मोदाम एवं भद्र द्रव्य गृहों से अविलम्ब सहायता प्रदान करने को कहा गया है। अकाल प्रबन्धन का यह दुर्लभ साक्ष्य प्रस्तुत करता है। महास्थान खण्डित शिला तख्ती अभिलेख बांग्लादेश के बोग्र जनपद से प्राप्त है तथा तीसरी शती ई0 पू0 का पालि–प्राकृत लेख है। भण्डारकर के अनुसार इस लेख में किसी मौर्य नरेश ने पुण्ड्र नगर मे स्थित महामात्र को नगर के आस–पास के क्षेत्रों में फैले अकाल को दूर करने के लिए आदेश दिया था।

भारत के विभिन्न भागों में अशोक के अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में 34 लेख ब्राह्मी लिपि में हैं, आरमेयिक, यूनानी तथा शेष खरोष्ठी लिपियों में अंकित हैं। इनमें अधिकांश अभिलेख पालि–प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण हैं। अशोक के अब तक लगभग 163 छोटे–बड़े अभिलेख प्राप्त हो चुके हें। खरोष्ठी लिपि में

अंकित अभिलेख वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को लेखन के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- गुहा अभिलेख
- शिला अभिलेख और
- स्तम्भाभिलेख

बिहार प्रान्त के गया जनपद में स्थित वबराबर (प्रवरगिरि) पर्वत में निर्मित मौर्यकालीन गुफाओं से अशोक के गुहाभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं के नाम हैं– कर्ण चोपर, सुदाम और विश्व झोपड़ी। इन्हें अशोक ने आजीवकों के आवास के लिए निर्मित कराया था। पर्वतीय चट्टानों पर अशोक के सर्वाधिक उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। इन्हें अध्ययन की सुविधा हेतु दो वर्गों में बाँटा जा सकता है– प्रथम मुख्य शिलाभिलेख, जिनकी संख्या 14 है तथा वे एक क्रम में एक साथ उत्कीर्ण किए गए हैं। दूसरा वर्ग लघु–शिला लेखों का है, जो भाषा–सम्बन्धी सामान्य अन्तर को छोड़कर तथ्य की दृष्टि से एक समान हैं। चट्टानों पर अंकित चौदहों शिलाभिलेखों की प्रतियाँ जिन पाँच स्थलों से मिली हैं, उनके नाम हैं–

- पाकिस्तान के पेशावर जनपद के युसुफजई तहसील के अन्तर्गत शाहबाजगढ़ी
- पाकिस्तान के हजारा जनपद में अवस्थित मानसेरा।
- उत्तराखण्ड प्रान्त के देहरादून जनपद के चकरकाता तहसील में अवस्थित कालसी के निकट यमुना–टौंस के संगम पर स्थित चट्टान।
- गुजरात प्रान्त के जूनागढ़ जनपद में स्थित गिरनार पर्वत।
- आन्ध्रप्रदेश के कर्नूल जनपद में स्थित सर्रगुडि ग्राम में प्राप्य छह चट्टानें।
- उड़ीसा प्रानत में भुवनेश्वर जनपद में अवस्थित धौली तथा गंजाम जनपद में स्थित जौगड़ अभिलेख।
- कर्णाटक प्रान्त के गुलवर्गा जनपद के सन्नटि स्थल से जहाँ उत्तरादेवी की मूर्ति के पादासन पर अंकित शिलाभिलेख।
- मुम्बई नगर के निकट सोपारा (शूपरिक) के मातेला पोखर और मुइग्राम स्थानों से प्राप्त चट्टान अभिलेख।
- कन्दहार से यवन–लिपि में प्राप्त दो शिलाभिलेख।

इसी प्रकार लघु–शिलाभिलेख भी 14 की संख्या में भारत के विभिन्न प्रान्तों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के चौदह शिलाभिलेखों के अतिरिक्त उसके लघुशिला लेख कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं :

- उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में अहरौरा के निकट से।
- राजस्थान के जयपुर जनपद के बैराट से।
- मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुजर्रा से।
- कर्नाटक प्रान्त के रायचूर जिले के कोप्पल के गवीमठ से।
- कर्नाटक के रायचूर जिले के मास्की से।
- गवीमठ के निकट पल्कीमुण्डु से।
- मध्यप्रदेश में जबलपुर जनपद के रूपनाथ स्थल से।
- बिहार के शाहाबाद जनपइद के सहसराम से।

इन लघु शिलाभिलेखों की विशेषता यह है कि इनका सुलेख हर स्थान पर एक जैसा न होकर भिन्न–भिन्न है। ऐसे भी अशोक के लेख मिले हैं, जिनमें अर्ध लेख ही मिलता है। जैसे कर्नाटक प्रदेश के ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, चित्रदुर्ग, एर्रगुडि एवं आन्ध्रप्रदेश के कर्नूल जनपद से प्रापत रजुला–मन्दगिरि अभिलेख आदि। प्राचीन कंधार (अफगानिस्तान) से प्राप्त अभिलेख जिसे शरीकुना अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है।, जो यवन, कम्बोज (ईरानी) प्रजा के लिए है। तक्षशिला और पुलीदरून्तेह लेख तथा अफगानिस्तान से प्राप्त लद्य मान क्षेत्र से प्रापत अशोक के चार लघु शिलालेख मिले हैं। ये सभी लघु शिलालेख अशोक कालीन इतिहास के अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जा सकते हैं। अफगानिस्तान, कंधार आदि क्षेत्रों पर इन लेखों से अशोक के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अधिकार का पता चलता है।

ज्ञातव्य है कि मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से मिले अशोक के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं, जो फारसी ऐरमाइक स निकली है। बाद में कंदहार से प्रापत शिलालेख दो भाषाओं, यूनानी और ऐरमाइक में अंकित है। शेष सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। शिलालेखों में स्थानीय लिपियों का प्रयोग सम्राट अशोक की जनवादी सोच को दर्शाती है ताकि सामान्य प्रजाजन उन्हें पढ़ और समझ सके। गोरखपुर से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र लेख और वोगरा जिले से मिले महास्थान अभिलेख अशोक कालीन पालि–प्राकृत में हैं तथा उनकी लिपि ब्राह्मी है। इनकी तिथि सामान्यतया तीसरी सदी ई0पू0 मानी जाती है तथा उन पर प्रयुक्त चित्र आहत मुद्राओं के चिन्हों से मेल खाते हैं। इन लेखों में अकाल का वर्णन किया गया, जिनका संकेत जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्वन आदि ग्रन्थों में किया गया है।

अशोक ने चट्टानों के अतिरिक्त पत्थर के बने स्तम्भों पर भी अभिलेख अंकित करवाए थे, जो इस प्रकार हैं

- दिल्ली–टोपरा–स्तम्भ–लेख स्तम्भ मूलतः पंजाब प्रान्त के अम्बाला जनपद में यमुना नदी के किनारे

टोपरा नामक स्थान पर था। वहाँ से 1356 में दिल्ली के सुलतान फिरोज शाह तुगलक ने उठवा कर दिल्ली स्थित फीरोजशाह कोटला के अहाते में खड़ा करवाया था।

- दिल्ली–मेरठ स्तम्भाभिलेख मूलतः उत्तरप्रदेश के मेरठ जनपद मे था। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने उठवाकर दिल्ली स्थिति कोशक–शिकार महल के सामने खड़ा करवाया था।
- इलाहाबाद–कौशाम्बी स्तम्भाभिलेख स्तम्भ मूलतः कौशाम्बी जनपद के मौसम ग्राम में था, जहाँ से किसी मुगल बादशाह ने उठवाकर इलाहाबाद के किले में खड़ा करवाया था। इसी स्तम्भ पर सम्राट समुद्रगुप्त एवं मुगल नरेश जहाँगीर का भी अभिलेख उत्कीर्ण है।
- लौड़िया–अरेराज स्तम्भ बिहार प्रान्त के चम्पारण जिले के रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थल में मूलतः स्थापित था।
- लौड़िया–नन्दनगढ़ स्तम्भ भी मूलतः चम्पारण जिले में मठिया नामक ग्राम के सन्निकट खड़ा किया गया था।
- रामपुरवा–स्तम्भाभिलेख स्तम्भ भी चम्पारण जिले में ही रामपुरवा में खड़ा किया गया था, जो अब गिर गया है। इन सभी स्तम्भों पर एक ही क्रम में यह अभिलेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इनके अतिरिक्त दिल्ली–टोपरा स्तम्भ पर एक सातवाँ अभिलेख भी पाया गया है।

स्तम्भाभिलेखों में ही तीन लघु स्तम्भाभिलेखों का भी उल्लेखनीय स्थान है। इनमें से एक तो इलाहाबाद–कौशाम्बी स्तम्भ है। शेष दो सारनाथ (वाराणसी) और साँची (मध्यप्रदेश) से प्राप्त लघु स्तम्भ अभिलेख हैं। इसी क्रम में एक खण्डित लघु स्तम्भ लेख आन्ध्रप्रदेश के गुन्टूर जनपद में स्थित अमरावती से मिला है। अन्य खण्डित स्तम्भ लेख क्रमशः प्राचीन नेपरान देश के लुम्बिनी (रूम्मनदेई) से प्राप्त हुआ है। तथा दूसरा लेख पिपरहवा के निकट निगलिहपा से मिला है।

ऐतिहासिक दृष्टि से अशोक के ये अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अशोक ने उन्हें अपने शासन के 8वें एवं 27वें राज्य–वर्ष के बीच समय–समय पर उत्कीर्ण करवाया था। 13वें शिलाभिलेख से उसके कलिंग–विजय की सूचना मिलती है, जिसे उसने अपने राज्य शासन के 8वें वर्ष में सम्पन्न किया था। 8वें शिलाभिलेख से दसवें राज्य वर्ष में की गई उसके सम्बोधि (बोधगया) की धम्मयात्रा का पता चलता है।तीसरे शिलाभिलेख से उसके राज्य शासन के 12वें वर्ष में युक्तों, राजुकों और प्रादेशिकों जैसे पदाधिकारियों के जनता के बीच दौरा करने की सूचना दी गई है। चौथे तथा छठवें शिलाभिलेख से उसके धम्मलिपि के आलेखन तथा आजीवकों को दो गुफा दान की सूचना मिलती है। पाँचवें शिलाभिलेख से उसके राज्य शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। निगलिहवा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने शासन के चौदहवें वर्ष कनकमुनि स्तूप का विस्तार किया। उनके बराबर पहाड़ी गुहाभिलेख से पता चलता है कि शासन के उन्नीसवें वर्ष आजीवकों को वहाँ की तीसरी गुफा का दान

किया था। रूम्मनदेई अभिलेख से अशोक के शासनकाल के बीसवें वर्ष में बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी ग्राम की धम्म यात्रा पर प्रकाश पड़ता है। निगलिहवा अभिलेख से अशोक द्वारा कनकमुनि स्तूप की पूजा और वहाँ स्तम्भ स्थापना की सूचना मिलती है। अशोक के स्तम्भ लेख यह प्रमाणित करते हैं कि शासन के छब्बीसवें वर्ष में उसने प्रथम छह स्तम्भ लेखों को उत्कीर्ण करवा कर जनता को धम्मानुशासन सम्बन्धी कतिपय नियमों का ऐलान किया। इसी प्रकार, राज्य शासन के सत्ताईसवें वर्ष में भी स्तम्भ लेख खुदवाकर धम्म–वृद्धि–सम्बन्धी कार्यों के पर्यवेक्षण की घोषणा की थी।

वस्तुतः अशोक के अभिलेखों से उसके जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विशद् प्रकाश पड़ता है। उसके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों, धम्म–प्रचार, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा साम्राज्य विस्तार आदि की सूचना भी उसके अभिलेखों में प्राप्य विवरण के अनुसार उसके साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों यथा, दक्षिण भारत में चोल, पाण्ड्य, सतिदपुत्त और केरल तथा उत्तर–पश्चिम में अन्तियोग नामक यवन राज्य का पता चलता है। अशोक के जौगड़ तथा धौली अभिलेखों में कहा गया है कि सारी प्रजा उसे सन्तान की भाँति प्रिय थी। उसका छठाँ शिला अभिलेख यह प्रकट करता है कि उसकी दृष्टि में राजा का कर्तव्य लोकहित और पराक्रम था। आठवाँ शिलाभिलेख अशोक द्वारा जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से समय–समय पर किए गए उसके दौरों का उल्लेख करता है।

अशोक के अभिलेख उसके मन में पालित पंथ निरपेक्षता को आलोकित करते हैं। भाब्रू अभिलेख को छोड़कर किसी भी अभिलेख में बौद्ध धम अथवा उसके सिद्धान्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। उसने अपने अभिलेखों में बौद्ध धर्म के लिए सामान्य रूप से संब अथवा सद्दर्म शब्द का ही प्रयोग किया है।

मौर्योत्तरकालीन पालि–प्राकृत अभिलेख भी ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए बहुत उपयोगी हैं। मध्यप्रदेश के नागौद जनपद में स्थित भरहुत नामक पुरास्थल से जनरल कनिंघम को शुंग कालीन एक विशाल स्तूपि के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए। वहाँ से छोटे–छोटे अनेक अभिलेख मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय भारहुत तोरण अभिलेख है। यह अभिलेख इतिहास की दृष्टि से बड़ा महतवपूर्ण है। इसमें शासक के रूप में राजा विश्वदेव, उनके पौत्र अग्रराज तथा उनके पुत्र धनभूति का उल्लेख किया गया है। तोरण–लेख में 'सुगनं रजे' पाठ से पुष्यमित्र शुंग सम्बन्धी इतिहास की कई भ्रान्तियों का निवारण सम्भव हो सका।

उड़ीसा प्रान्त के भुवनेश्वर जनपद में उदयगिरि पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में एक प्राकृतिक गुफा, किंचित् लयण आकार का प्राप्य है। इसे हाथी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। इस लयण के अपनी हिस्से पर पाली–प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में एक लम्बा अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है। इसकी तिथि पर घोर विवाद है। सामान्यतः इसे ई. पू. प्रथम सदी अथवा ईसा की प्रथम सदी का आरम्भिक काल माना जाता है। इस अभिलेख में चेदि वंशीय नरेश खारवेल के कार्यों का विशद् उल्लेख किया गया है। वह जैन

धर्मावलम्बी था। अभिलेख में उसके द्वारा की गई विजयों, लोकोपकारी कार्यों तथा प्रशासनिक सुधारों तथा कलात्मक निर्माणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। महाराज खारवेल के इतिहास ज्ञान का यह एक मात्र विस्तृत साक्ष्य है। हाथी गुम्फा प्राचीन का वह पहला अभिलेख है जिसमे 'राजा के 'वंश' एवं 'चरित्र' तथा देशभाग का उल्लेख मिलता है। (ऐरेण महाराजेन महामघवाहनेन चेतिराजवंस, वधनेन सुभ–लखनेन)। उसके 'देश का नाम' अर्थात् उसे 'कलिंगाधिपतना' कहा गया है। इतना ही नहीं उसको व्यक्तिगत नाम यथा 'सिरि खारवेलेन' का भी वर्णन किया गया है।

उपरोक्त संश्लेषणों से परिलक्षित होता है कि पालि भाषा मे ंउत्कीर्णित अभिलेखों का प्राचीन भारतीय इतिहास ज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। इन अभिलेखों में इतिहास तत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएँ दी गई हैं। ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए ये अभिलेख बहुत उपयोगी हैं। इनमें इतिहास, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, साम्राज्य विस्तार, धर्म, दर्शन एवं संस्कृति क साथ–साथ तत्युगीन राजनोतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में पालि भाषा मे ंउत्कीर्णित अभिलेख एक नये युग का सूत्रपात करतें हैं।

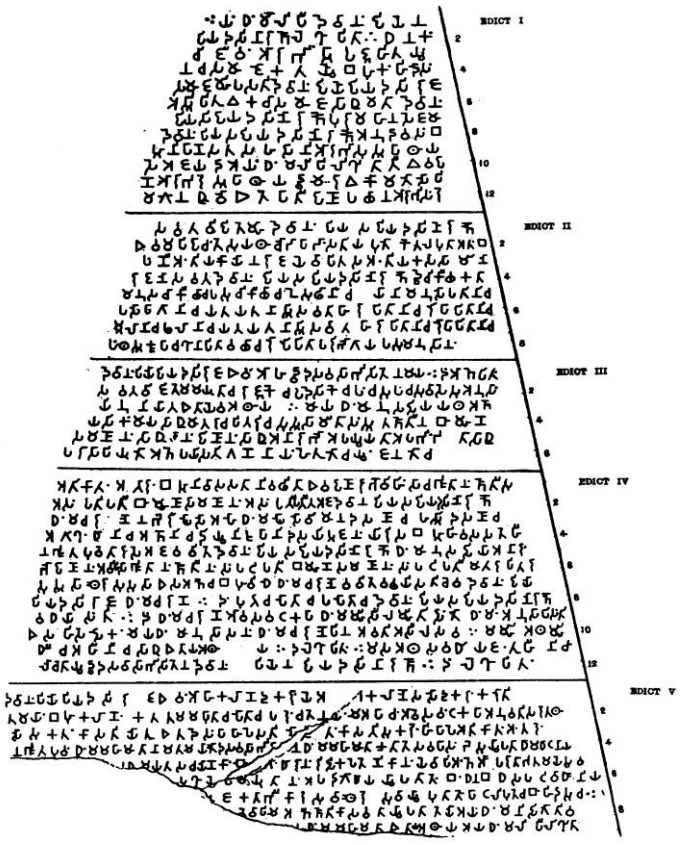

पालि भाषा एवं ब्राह्मी लिपि मे ंउत्कीर्णित गिरनार अभिलेख

सन्दर्भ–ग्रन्थ

1	गुप्ता, परमेश्वरी लाल	:	*प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख (भाग 1 व 2),* 2013, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
2	सहाय, शिव स्वरूप	:	*भारतीय पुरालेखों का अध्ययन,* 2000 मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली।
3	राय, एस0एन0	:	*भारतीय पुरालिपि एवं अभिलेख,* 1997 शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
4	तारानाथ	:	*हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इण्डिया,* 1990 (अनुवादक – लाला चिम्पा एवं अल्का चट्टोपाध्याय, सम्पादक – देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय), मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली।
5	सिंह, भरत	:	*पाली साहित्य इतिहास,* 1972, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद।
6	पाण्डेय, राम अवध एवं रविनाथ मिश्र	:	*पाली–प्राकृत–अपभ्रंश संग्रह,* 2009 विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
8	सांकृत्यायन, राहुल	:	*पाली साहित्य का इतिहास,* 2006 वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
9	जैन, महाबीर सरन	:	*पाली भाषाः व्युत्पत्ति, भाषा क्षेत्र एवं भाषिक प्रवृत्तियां,* 2013
10	काश्यप, जगदीश	:	*पालि महाव्याकरण,* 1963, मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली।